भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *294
(दिनांक 21.03.2023 को उत्तर देने के लिए)

प्रेस सूचना ब्यूरो में तथ्य जांच स्कंध

***294. श्री सय्यद ईमत्याज जलील :**
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में एक तथ्य जांच स्कन्ध स्थापित करने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तथ्यों की जांच करने के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया/नियमावली तैयार की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या पीआईबी ने तथ्यों की जांच करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों/एजेंसियों को नियुक्त किया है/उनकी सेवाएं ली हैं;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं: और
(छ) तथ्यों की जांच से सम्बन्धित ऐसे कार्यकलापों के लिए पीआईबी को आवंटित किए गए बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21.03.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *294 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): नवंबर, 2019 में इस मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के तहत एक फेक्ट चैक यूनिट की स्थापना की गई है, जो दोनों स्वतः और इसके पोर्टल पर ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से फर्जी समाचारों का संज्ञान लेती है। यह यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित विषय के संबंध में सही जानकारी के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है। यह यूनिट @PIBFactcheck पर एक ट्विटर अकाउंट भी चलाती है और उस पर फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किए गए मामलों को नियमित आधार पर पोस्ट करती है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने अब तक 37,000 कार्रवाई योग्य प्रश्नों का जवाब दिया है और 1,160 से अधिक फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किया है। एफसीयू फैक्ट मॉडल अर्थात फाइंड, एसेस, *क्रिएट* और टारगेट तथा समाचारों का दोनों स्वत: और नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेती है।

(ङ) और (च): पीआईबी के अधिकारियों द्वारा तथ्य की जांच की जाती है।

(छ): पीआईबी द्वारा तथ्यों की जांच के लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।

******